

राम बिलास सिंह और अन्य

बनाम

बिहार राज्य

निर्णय की तिथि - 29 जनवरी, 1963 को

(एस. जे. इमाम, के. सुब्बा राव, सन. राजागोपाला अयांगर तथा जे. आर. मुदहोल्कर, जे जे)

आपराधिक विचारण - विधि विरुद्ध सभा - अभियुक्तों को दोषमुक्त करना - 5 से कम दोषसिद्धि - भारतीय दण्ड संहिता की धारा 149 की वैधानिकता)

अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपित तथ्य ये थे:

पहला अपीलार्थी अपने साथ एक ट्रक में 40 से 50 व्यक्तियों के भीड़ को घटनास्थल पर ले आया, जिसमें अन्य दो अपीलार्थी और चार अन्य व्यक्ति शामिल थे, विचारण न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया था। पहले अपीलार्थी ने अपने पास रखी बंदूक से गोली चलाई, जो लालदेव सिंह की छाती पर लगी, जिसके परिणामस्वरूप वह नीचे गिर गया। इसके बाद दोषमुक्त किए गए किसी भी व्यक्ति ने अपने बंदूक से गोली नहीं चलाई और गोली फिर से लालदेव सिंह को लगी इसके बाद दोषमुक्त किए गए अन्य व्यक्ति ने लालदेव सिंह पर गोली चला दी, जिससे उनकी तुरंत मौत हो गई। पहले अपीलार्थी ने एक देवा सिंह पर दो गोलियां चलाई जो उसकी जांघ पर मारा गया था। अन्य दो अपीलार्थियों ने देवा सिंह पर लाठियों से हमला किया, जिसके लिए सात लोगों को आरोपित किया गया था, चार को दोषमुक्त कर दिया गया था। अपीलार्थियों को विचारण न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग II सपठित धारा 149 के तहत दोषी ठहराया गया था। अपील पर उच्च न्यायालय ने उनकी दोषसिद्धि को भारतीय दंड संहिता की धारा 426 भा0द0वि0 सपठित धारा 149 भा0द0वि0 में बदल

1 एस. सी. आर. सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

दिया, लेकिन भारतीय दंड संहिता की इसके तहत दोषसिद्धि को बरकरार रखा। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया था चूंकि चार दोषमुक्त करने के खिलाफ उच्च न्यायालय के समक्ष कोई अपील नहीं की गई थी, जिनपर अपीलकर्ताओं के साथ विधि विरुद्ध सभा गठन करने का आरोप था, इसलिए यह निष्कर्ष नहीं निकल सका कि एक विधि विरुद्ध सभा थी जिसमें अपीलार्थी सदस्य थे और इसलिए, अन्य सदस्यों के कृत्यों के लिए उत्तरदायी थे। और यह कि एक आरोपी को दोषमुक्त किये गए व्यक्ति के कृत्य के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यह मानते हुये भी कि लालदेव सिंह को चार दोषमुक्त किये गए व्यक्तियों में से एक द्वारा घातक चोटें पहुँचाई गई थी, उच्च न्यायालय के लिए के भा0द0वि0 की धारा 149 का सहारा लेकर किसी भी अपीलकर्ता को उस कृत्य के लिए उत्तरदायी ठहराना उचित नहीं था ।

आगे यह अभिनिर्धारित किया गया प्राधिकारिणी की ओर से कानूनी स्थिति यह थी कि (1) न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचने में सक्षम है कि पाँच या अधिक व्यक्तियों की विधि विरुद्ध सभा थी, और वास्तव में उस संख्या से कम लोगों को दोषी ठहराया गया था ! अपराध यदि (ए) आरोप में कहा गया है कि नामित व्यक्तियों के अलावा कई अन्य अज्ञात व्यक्ति भी विधि विरुद्ध सभा के सदस्य थे, जिसका सामान्य आशय एक विधि विरुद्ध कार्य करना था और इसे साबित करने के लिए सबूत न्यायालय द्वारा स्वीकार किए जाते हैं, (ख) या प्रथम सूचना रिपोर्ट और साक्ष्य से पता चलता है ऐसा मामला है, भले ही आरोप में ऐसा नहीं कहा गया है, (ग) या यह कि यद्यपि आरोप और अभियोजन पक्ष के गवाहों ने केवल दोषमुक्त किए गए और दोषी अभियुक्त व्यक्तियों का नाम लिया है, ऐसे अन्य साक्ष्य है जो नामित या अन्य व्यक्तियों के अस्तित्व का खुलासा करते हैं, बशर्ते मामलों (बी) और (सी) में दोषी व्यक्ति को इस आरोप में उल्लेख करने में चूक की है कि अन्य अनाम व्यक्तियों भी इस अपराध में भागीदारी थी।

1 एस. सी. आर. सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

हरचन्द्र बनाम रेक्स आई. एल. आर (1951) 2 सभी । 62, अनुमोदित टोपानदास बनाम बॉम्बे राज्य, 1955 (2) एस; सी; आर; 881 आर.वी प्लमर (1902) 2 के, बी, 339, भारवाड मेपा दाना वी। बॉम्बे राज्य, (1960) 2 एस. सी. आर. 172, कर्तार सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1962) 2 एस; सी; आर , 395, दलीप सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1954) एस.सी.आर. 145, सुंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1962) 2 एस;सी;आर; 654, मोहन सिंह बनाम पंजाब राज्य, 1962 3 एस;सी; आर 848 और कृष्णा गोविंद पाटिल बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1964) खंड 1 एस. सी. आर. 678 का संदर्भ ।

यह भी माना गया कि उच्च न्यायालय मामले को ठीक से तय करने के लिए आवश्यक सार्थक प्रश्न निर्धारित करने में विफल रहा है, अर्थात् उसने एक निश्चित निष्कर्ष पर आने के लिए साक्ष्य को पूरी तरह से जाँच नहीं कि थी और क्या दोषमुक्त किये गए लोगों के अलावा अन्य व्यक्तियों की विधि विरुद्ध सभा थी या नहीं और उच्च न्यायालय उस सभा के किसी भी सदस्य या सदस्यों द्वारा किए गए विशेष कार्य का पता लगाने में विफल रहा था। यह भी कि क्या किसी अपीलार्थी ने उक्त घटना में शामिल था ।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार- 1961 की आपराधिक अपील संख्या 73 ।

1958 की आपराधिक अपील संख्या 326 में पटना उच्च न्यायालय के 3 नवंबर, 1960 के निर्णय और आदेश से विशेष अनुमति द्वारा अपील ।

अपीलकर्ताओं की ओर से जय गोपाल सेठी, सीएल सरीन और आरएल कोहली ।

प्रतिवादी की ओर से एल. पी. वर्मा और आर. एन. सचथे ।

1963, 29 जनवरी न्यायालय का निर्णय सुनाया गया था।

1 एस. सी. आर. सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

मुधोलकर, जे:- यह उच्च न्यायालय के एक फैसले से विशेष अनुमति द्वारा अपील है। भारतीय दंड संहिता की धारा 304, भाग 2 और धारा 149 के तहत अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि को धारा 326 के तहत दोषसिद्धि में बदलना। धारा 149, आई.पी.सी. लेकिन सजा को बनाए रखना और धारा 147 और धारा 426 के तहत दोषसिद्धि की पुष्टि करना और साथ ही उन अपराधों के संबंध में दी गई सजा।।

अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि शाहपुर के राम बिलास सिंह और उनके दो बेटों राम नरेश सिंह और दिनेश सिंह के बीच एक तरफ (हमारे सामने अपीलकर्ता) और दूसरी तरफ देवा सिंह (पी.डब्लू 2) और उनके भाईयों के बीच एक गाँव डिहारा में एक डोचारा के संबंध में विवाद था। 22 अप्रैल 1957 को सुबह लगभग 9:00 बजे जब देवा सिंह अपने भाई मृतक लालदेव सिंह के साथ और दो अन्य व्यक्ति धुनमुन सिंह (पी.डब्लू-4) और दसेन हजाम दोचारा में बैठे थे। राम बिलास सिंह 40 से 50 लोगों की भीड़ के साथ एक टुक में वहाँ पहुँचा, जिसमें हमारे सामने अन्य दो अपीलकर्ता शामिल थे, इसके अलावा चार अन्य व्यक्ति भी थे जिन्हें विचारण न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया था। बताया जाता है कि राम बिलास सिंह ने अपने पास मौजूद बंदूक से गोली चलाई थी, जो लालदेव सिंह के सीने पर लगी, जिसके परिणामस्वरूप वह गिर गए, लेकिन वाद में उठ गए।

इसके बाद रामदेव सिंह विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्त ने अपनी बंदूक से गोली चलाई और गोली लालदेव सिंह के सीने पर लगी और वह फिर से गिर गए। इसके बाद दिहारा के राम बिलास सिंह गुमास्ता (विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्त) ने अपनी बंदूक से दूसरी गोली लालदेव सिंह के पेट पर मारी और उसकी तुरंत मौत हो गई। अपीलकर्ता राम बिलास सिंह ने देवा सिंह पर दो गोलियाँ चलाई, जो उसकी दाहिनी जाँघ पर लगी। कहा जाता है कि अपीलकर्ता राम नरेश सिंह और दिनेश सिंह ने देवा सिंह पर लाठियों से हमला किया जिसके परिणामस्वरूप वह नीचे गिर गया और उसके

1 एस. सी. आर. सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

बाद भीड़ ने डोचारा के मिट्टी के खंभों को गिराकर उसे ध्वस्त करने के लिए आगे बढ़े, जिसके परिणामस्वरूप इसकी फुस की छत गिर गई। कहा जाता है कि ऐसा करने के बाद, भीड़ ने उस जगह को छोड़ दिया, अपने साथ एक पलंग, एक बांस की खाट, दो रजाई, एक लालटेन और एक गड्ढा ले गए।

इस घटना ने जगदीश सिंह भागवत सिंह (मृत) और अयोध्या सिंह सहित कई ग्रामीण मौके पर आ गये घटना की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद, पुलिस मौके पर पहुँची, लालदेव सिंह के शव का पंचनामा किया और सामान्य प्रक्रिया का पालन किया। अपीलकर्ताओं सहित सात आरोपियों की तलाश की गई, लेकिन उनका पता लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने में कुछ समय लगा। आखिरकार, उन्हें एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जिन्होंने उन्हें भारतीय दण्ड संहिता की धारा 149 और धारा 426 के साथ सपठित धारा 148, धारा 302 के अन्तर्गत अपराधों के लिए मुकदमा चलाने का आदेश दिया, दिहाड़ के अपीलकर्ता राम बिलास सिंह, रामदेव सिंह और राम बिलास सिंह गुमास्ता को विशेष रूप से धारा 302, भा0द0वि0 के तहत अपराधों के लिए आरोपित किया गया।

राम बिलास सिंह पर देवा सिंह की हत्या के प्रयास के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 307 भा0द0वि0 के तहत आरोप लगाया गया था, जबकि राम नरेश सिंह और दिनेश सिंह (अपीलकर्ता 2 और 3) पर आगे धुनमुन सिंह (पी;डब्लू-4) पर हमला करने के लिए भा0द0वि0 की धारा 323 के तहत आरोप लगाए गए थे।

सत्र न्यायालय ने राम बिलास सिंह और रामदेव सिंह दोनों को आई;पी;सी; की धारा 302 के तहत अपराध से दोषमुक्त कर दिया और सभी सात आरोपियों को आ.;पी.सी. की धारा 302 के सपठित धारा 149 के तहत अपराध से दोषमुक्त कर दिया। हालांकि, इसने हमारे समक्ष तीन अपीलकर्ताओं को आई.पी.सी. की धारा 304, भाग II सपठित धारा 149 के साथ और आई;पी;सी; की धारा 147 और 426 के तहत दोषी

1 एस. सी. आर. सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

ठहराया, लेकिन अपीलकर्ताओं को आईपीसी की धारा 323 के तहत अपराध से दोषमुक्त कर दिया।

संक्षेप में कहा गया है, तीन अपीलकर्ताओं का बचाव यह था कि अपीलकर्ता राम बिलास सिंह के पास डोचारा था, कि यह लालदेव सिंह और देवा सिंह थे जिन्होंने डोचारा को नष्ट करने की धमकी दी थी और इसलिए, उन्होंने घटना की तारीख को 15 या 20 हथियारबंद व्यक्तियों की भीड़ के साथ आये थे। कहा जाता है कि घटना के दौरान, लालदेव सिंह और देवा सिंह ने अपना फरसा और गड्ढा का प्रयोग किया, जबकि उनकी पार्टी के कुछ अन्य सदस्यों ने अपनी लाठियों और भालों का इस्तेमाल किया, जिसके परिणामस्वरूप अपीलकर्ताओं के पक्ष में चार व्यक्ति घायल हो गए। आत्मरक्षा में राम लखन सिंह (अब मृत) नाम के एक व्यक्ति ने अपने बंदूक से गोली चलाई और भाग गया। बताया जाता है कि यह गोली लालदेव सिंह और देवा सिंह को भी लगा था। बताया जाता है कि इस तरह घायल होने के बाद लालदेव सिंह की मौत हो गई और फिर भीड़ तितर-बितर हो गई।

अपीलकर्ताओं के बचाव पक्ष ने बताया कि उनके पास डोचारा था और लालदेव सिंह और देवा सिंह हमलावर थे, को दोनों निचली अदालतों द्वारा खारिज कर दिया गया है और अपीलकर्ताओं की ओर से पेश होने वाले श्री सेठी ने उस बिन्दु पर निष्कर्ष का विरोध करने का कोशिश भी नहीं की है। हालांकि, उनका तर्क यह है कि अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ सपठित धारा 302 के अन्तर्गत दोषमुक्त कर दिया गया तथा अपीलकर्ता संख्या 1 को धारा 302 और धारा 307 से दोषमुक्त कर दिया गया है, उनमें से किसी को भी भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ सपठित धारा 326 के अन्तर्गत दोषसिद्धि नहीं दी जा सकी।

विद्वान वकील ने बताया कि आरोप पत्र में अभियोजन पक्ष का स्पष्ट मामला सात नामजद व्यक्तियों के खिलाफ था, यानी, हमारे सामने तीन अपीलकर्ता, राम

1 एस. सी. आर. सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

बिलास सिंह गुमास्ता, सुदर्शन सिंह पुत्र रामबिलास सिंह गुमास्ता, रामदेव सिंह और सकल सिंह पुत्र राघू सिंह और तर्क देते हैं कि इनमें से चार व्यक्तियों को दोषमुक्त कर दिया गया है। शेष तीन लोगों को विधि विरुद्ध का सदस्य नहीं कहा जा सकता था और इसलिए, उन्हें न तो भारतीय दंड संहिता की धारा 147 के तहत दोषी ठहराया जा सकता था और न ही उन्हें धारा 149 आई.पी.सी. के अन्तर्गत की सहायता से किसी अन्य अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता था। न्यायालय के लिए जो कुछ भी करने के लिए सक्षम था, वह यह था कि उनमें से प्रत्येक को उनके व्यक्तिगत कृत्य के लिए दोषी ठहराया जाए और अब और नहीं। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि अपीलकर्ताओं के चार कथित सहयोगियों को दोषमुक्त किए जाने के फैसले को रद्द किए बिना, इस आशय का कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि एक विधि विरुद्ध सभा थी, जिसके अपीलकर्ता सदस्य थे और इसलिए, उसके अन्य सदस्यों के कृत्य के लिए उत्तरदायी थे।

इसके अलावा, विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह आग्रह किया गया था कि एक अभियुक्त व्यक्ति को दोषमुक्त किए गए व्यक्ति के कृत्य के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है और इसलिए, यह मानते हुए भी कि लालदेव सिंह को घातक चोटे चार अभियुक्त व्यक्तियों में से एक द्वारा दी गई थीं, यह उच्च न्यायालय के लिए खुला है कि यह भारतीय दंड संहिता की धारा 149 की सहायता से उस कृत्य के लिए किसी भी अपीलकर्ता को उत्तरदायी ठहराए।

विद्वान अधिवक्ता ने न्यायमूर्ति अग्रवाल के फैसले के एक अंश पर भरोसा किया। रेक्स (आई.एल.आर.) (1951) 2 इलाहाबाद 62,73), जो इस प्रकार है,

“ उन्होंने कहा, अब आपराधिक मामले में सबूत का बोझ हमेशा अभियोजन पक्ष पर होता है। यह अभियोजन पक्ष का काम है कि वह कथित अपराध के लिए आरोपी की जिम्मेदारी स्थापित करे। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि हमारे समक्ष अन्य पाँच अभियुक्तों को दोषमुक्त किए जाने के खिलाफ कोई अपील नहीं है, और इस तथ्य

1 एस. सी. आर. सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

को ध्यान में रखते हुए कि हम विद्वान सत्र न्यायाधीश के निष्कर्ष में हस्ताक्षेप नहीं कर सकते हैं, जहाँ तक उन अभियुक्तों का संबंध है, हम यह नहीं कह सकते हैं कि दुर्गा दास या सुखबीर घायल करने के लिए जिम्मेदार थे, और चूंकि यह अभियोजन पक्ष का मामला नहीं था कि आरोपी के साथ कोई अज्ञात व्यक्ति भी था, जिसके पास एक तेजधार वाला हथियार भी था, इसलिए हम ऐसे किसी अज्ञात व्यक्ति को चोट पहुँचाने का अपराध नहीं मढ़ सकते । विद्वान सत्र न्यायाधीश के निष्कर्षों के साथ लिए गए अभियोजन साक्ष्य का परिणाम यह है कि प्रक्रिया कटे हुए घावों के आघात की व्याख्या करने में असमर्थ है । मेरी राय में, ऐसे मामले में आरोपी को उन घावों के लिए रचनात्मक रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है”

इसमें कोई संदेह नहीं है कि उच्च न्यायालय ने अपील के तहत अपने फैसले में कहा है कि लालदेव सिंह की मौत राम बिलास सिंह गुमास्ता द्वारा उनपर चलाई गई एक गोली के परिणामस्वरूप हुई थी, जिन्हें सत्र न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया था । हम इस संबंध में उसके द्वारा की गई टिप्पणी को उद्धृत कर सकते हैं। वे निम्नलिखित हैं :-

“ ऐसा लगता है कि जैसा कि मैं इसके बाद दिखाऊँगा, विचारण न्यायालय दिहारा के रामबिलास सिंह के पक्ष में बहुत पहले से ही था, और इसलिए साक्ष्य पर अविश्वास किये बिना, इस संभावना को खारिज कर दिया कि लालदेव सिंह को दिहारा के रामबिलास सिंह के द्वारा चलाई गई तीसरी गोली से मार दिया गया था। यह स्वीकार किया जाता है कि दोनो रामबिलास सिंह और रामदेव सिंह के पास एक-एक लाईसेंसी बंदूक है पी;डब्ल्यू 21 के द्वारा बंदूके और खाली कारतूस जो घटनास्थल पर मिली थी जिसकी परीक्षण अग्नि शस्त्र विशेषज्ञ द्वारा की गई थी -----विचारण न्यायालय ने गवाहों का बयान का समर्थन करते हुये, निरविवाद चरित के इस बहुत मजबूत साक्ष्य को खारिज कर दिया कि दिहारा के रामबिलास सिंह ने बहुत तुच्छ आधारों पर अपनी बंदूक से गोली चलाई ! ”

1 एस. सी. आर. सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

तब उच्च न्यायालय ने पाया कि बैलिस्टिक विशेषज्ञ के साक्ष्य को सत्र न्यायालय द्वारा सारहीन आधार पर नजरअंदाज कर दिया गया था। हालांकि, मुद्दा यह है कि उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि जिस गोली के परिणामस्वरूप लालदेव सिंह की मौत हुई, वह एक दोषमुक्त किये हुए व्यक्ति द्वारा चलाई गई थी। यदि इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया द्रष्टिकोण सही है। फिर यह स्पष्ट होगा कि रामबिलास सिंह गुमास्ता को दोषमुक्त किये जाने के फैसले को चुनौती नहीं दी गई थी, इसलिए उच्च न्यायालय के पास उनके संबंध में सबूतों का पुनर्मूल्यांकन करने और यह मानने का अधिकार नहीं था कि लालदेव सिंह की हत्या उसी ने की थी।

हम वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले से निपटेंगे, लेकिन हमें इस न्यायालय के कुछ फैसलों का उल्लेख करना चाहिए, जिनका संदर्भ बहस के दौरान दिया गया था।

टोपनदास बनाम द स्टेट ऑफ बॉम्बे(1955) 2 एस.सी.आर - 881 में, इस न्यायालय ने माना है कि जहाँ चार नामित व्यक्तियों पर आई.पी.सी. की धारा 120 (बी) के तहत आपराधिक अपराध करने का आरोप लगाया गया था और उन चार में से तीन को उस आरोप से मुक्त कर दिया गया था, चौथे आरोपी को आपराधिक साजिश के अपराध का दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। इस द्रष्टिकोण के समर्थन में, इस न्यायालय ने आर्कबाल्ड के आपराधिक दलील, साक्ष्य और अभ्यास (33 वें संस्करण पृष्ठ 201, पैराग्राफ 361) में एक अंश पर भरोसा किया है, जिसमें लिखा है: इस प्रकार :

जहाँ एक ही अभियोग में कई कैदियों को शामिल किया जाता है, जूरी एक को दोषी पा सकती है और दूसरों को दोषमुक्त कर सकती है, और इसके विपरीत । लेकिन अगर कई लोगों ने दंगे के लिए संकेत दिया, और जूरी ने दो को छोड़कर सभी को दोषमुक्त कर दिया, तो उन्हें उन दोनों को भी दोषमुक्त कर देना चाहिए, जब तक कि अभियोग में यह आरोप न लगाया जाए और साबित न हो जाए कि उन्होंने किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर दंगा किया था, जिस पर उस अभियोग पर मुकदमा नहीं

1 एस. सी. आर. सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

चलाया गया था 2 हॉक सी. 47 एस. 8. और, यदि किसी साजिश के लिए अभियोग लगाने पर, जूरी एक को छोड़कर सभी कैदियों को दोषमुक्त कर देती है, तो उन्हें उस कैदी को भी दोषमुक्त कर देना चाहिए, जब तक कि अभियोग में यह आरोप न लगाया जाए, और साबित न हो कि उसने किसी अन्य व्यक्ति के साथ साजिश रची थी, जिसपर उस अभियोग पर मुकदमा नहीं चलाया गया था “।

इस न्यायालय ने आर. बनाम प्लमर (1902) 2 के.बी. 33 में दिए गए निर्णय के एक अंश को भी उद्धृत किया है। प्लमर जो उन निर्णयों में से एक है जिसपर उपरोक्त गंधश की रचना की गई है।

भाइवाड्मेपा दाना बनाम बॉम्बे राज्य (1960) 2 एस.सी.आर 172,181 में, इस न्यायालय को भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ सपठित धारा 302 के तहत तीन व्यक्तियों की दोषसिद्धि की शुद्धता पर विचार करना था, जब एक अन्य व्यक्ति जिसे सत न्यायाधीश द्वारा इसी तरह के अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था, को उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया था, यह उल्लेखनीय है कि मूल रूप से बाहर व्यक्तियों को आरोप में आरोपित किया गया था और यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने कुछ व्यक्तियों की हत्या के उद्देश्य से साथ एक विधि विरुद्ध बनाई थी। उनमें से सात को सत्र न्यायाधीश ने दोषमुक्त कर दिया था और केवल पाँच को भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ सपठित धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया था। उच्च न्यायालय ने सत न्यायाधीश द्वारा दोषी ठहराये गए पाँच व्यक्तियों में से एक को दोषमुक्त करते हुये कहा कि विधि विरुद्ध सभा में दस से तेरह व्यक्ति थे, हालांकि चार को छोड़कर सभी व्यक्तियों की पहचान नहीं की गई थी, कि इन सभी व्यक्तियों का पीड़ितों को मारने का इरादा था और यह हत्या विधि विरुद्ध सभा के सामान्य उद्देश्यों के अनुसरण में इरादतन की गई थी। उनमें से सात को सत्र न्यायाधीश ने दोषमुक्त कर दिया था और केवल पाँच को भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ सपठित धारा

1 एस. सी. आर. सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

302 के तहत दोषी ठहराया गया था। उच्च न्यायालय ने सत्र न्यायाधीश द्वारा दोषी ठहराये गए पाँच व्यक्तियों में से एक को दोषमुक्त करते हुये कहा कि विधि विरुद्ध सभा में दस से तेरह व्यक्ति थे, हालांकि चार को छोड़कर सभी व्यक्तियों की पहचान स्थापित नहीं की गई थी, इनके पास पीड़ितों की हत्या का सामान्य आशय और यह है कि हत्या विधि विरुद्ध सभा के सामान्य उद्देश्य और सभी सामान्य आशय के अनुसरण में की गई थी।

इन तथ्यों के आधार पर, इस न्यायालय ने माना कि उसके समक्ष अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ सपठित धारा 302 के तहत सही तरीके से दोषी ठहराया गया था। और यह कि कानून में ऐसा कुछ भी नहीं था जो उच्च न्यायालय को यह पता लगाने से रोकता था कि विधि विरुद्ध सभा में चार दोषी व्यक्ति और कुछ अज्ञात व्यक्ति शामिल थे, जिनकी कुल संख्या पाँच से अधिक थी। इस न्यायालय ने आगे कहा:

वर्तमान मामले में नौ आरोपी व्यक्तियों को दोषमुक्त करने के कानूनी प्रभाव के बारे में चर्चा शुरू करना अनावश्यक है, सिवाय यह कहने के कि हम इस आधार पर आगे बढ़ सकते हैं कि दोषमुक्त किया जाना अच्छा था और उन नौ व्यक्तियों में से किसी को भी अब अपराध में दोषी नहीं ठहराया जा सकता है ताकि शेष चार व्यक्तियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के तहत दोषी ठहराया जा सके।

उपर्युक्त टिप्पणियों के आधार पर श्री सेठी ने भरोसा जताया है। उनका तर्क है कि उच्च न्यायालय का यह कहना गलत था कि लालदेव सिंह की मौत रामबिलास सिंह गुमास्ता द्वारा उनपर चलाई गई गोली के परिणामस्वरूप हुई थी और यह हत्या के आरोपों से बच गए थे क्योंकि उन्हें सत्र न्यायाधीश ने दोषमुक्त कर दिया था। फिर करतार सिंह बनाम पंजाब राज्य (1962) 2, एस.सी.आर. 395, 399) के मामले में इस न्यायालय का निर्णय है, जहाँ इस न्यायालय ने कहा है कि यदि विचारण न्यायालय कानूनी रूप से यह पता लगा सकता है कि हमलावर पार्टी में सदस्यों की वास्तविक

1 एस. सी. आर. सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

संख्या पाँच से अधिक थी, तो वह पक्ष कानून में गैरकानूनी होगा, भले ही तीन आरोपी व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया हो। न्यायालय ने कहा है कि यह केवल तभी होता है जब कथित सहायकों की संख्या निश्चित होती है और उन सभी को नामित किया जाता है और घटना में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या पाँच से कम होती है, तो यह नहीं माना जा सकता है कि उन्होंने विधि विरुद्ध सभा का गठन किया था, तब इस न्यायालय ने कहा :

“शेष नामजद व्यक्तियों के दोषमुक्त होने का मतलब यह होना चाहिए कि वे घटना में नहीं थे। तथ्य यह है कि उनका नाम लिया गया था, इसमें अपीलकर्ता की पार्टी में अन्य व्यक्तियों के होने की संभावना शामिल नहीं है और विशेष रूप से जब यह सोचने का कोई अवसर नहीं है कि सभी आरोपियों का नाम लेने वाले गवाहों ने उन्हें पहचानने में गलतियों की होंगी। “

उपरोक्त निष्कर्ष के समर्थन में इस न्यायालय द्वारा दलीप सिंह बनाम पंजाब राज्य (1954) एस.सी.आर. 145 के निर्णय पर भरोसा किया गया।

सुंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1962) अपुपूरक, 2 एस.सी.आर. 654,663 के मामले में भी इस न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ सपठित धारा 302 के तहत अपराध से कुछ व्यक्तियों को दोषमुक्त किए जाने के प्रभाव पर विचार किया है, जिनकी संख्या पाँच से कम है। इस मामले से निपटने में यह देखा गया है कभी-कभी ऐसे मामले सामने आते हैं जहाँ व्यक्तियों पर विधि विरुद्ध सभा का सदस्य होने का आरोप लगाया जाता है और इस तरह के गैरकानूनी जमावड़े द्वारा किए गए अपराध के संबंध में उनके खिलाफ अन्य आरोप तय किये गए हैं। ऐसे मामलों में, यदि विधि विरुद्ध सभा का गठन करने वाले व्यक्तियों के नाम विशेष रूप से और स्पष्ट रूप से आरोप में लिखे गए हैं और यह सुझाव नहीं दिया गया है कि कोई अन्य ज्ञात या अज्ञात व्यक्ति भी विधि विरुद्ध सभा के सदस्य थे, तो यह हो सकता है कि यदि विशेष रूप से आरोपित एक या एक से अधिक व्यक्तियों को दोषमुक्त कर दिया जाता है, तो

1 एस. सी. आर. सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

यह उन अन्य लोगों के संबंध में आरोप में गंभीर दुर्बलता पैदा कर सकता है जिसके खिलाफ अभियोजन का मामला हो सकता है।

उदाहरण के लिए, मामलों के इस वर्ग में, कुछ प्रासंगिकता है। अगर इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के तहत आरोपित छः व्यक्तियों में से दो व्यक्तियों को दोषमुक्त कर दिया जाता है, शेष चार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि विधि विरुद्ध सभा की आवश्यक तत्वों का अभाव हो सकता है।

उसके समक्ष मामले के तथ्यों को यह अभिनिर्धारित किया गया इस न्यायालय ने प्लमर (1902) 2 के.बी. 339) के मामले में जो सिद्धान्त निर्धारित किया है, और इस न्यायालय ने टोपानदास के मामले में स्वीकार कर लिया है, वह उसके पहले के मामले पर लागू नहीं हुआ यह न्यायालय धारा 423 (1) (क) द्र.प्र.स. के तहत अपील न्यायालय के शक्तियों पर विचार करने के लिए आगे बढ़ा और यह मत व्यक्त किया कि यदि उसके समक्ष किसी मामले से निपटने में, उच्च न्यायालय के द्वारा दोषमुक्त किए गए अभियुक्त के खिलाफ मामले से अप्रत्यक्ष रूप से या संयोग से निपटना आवश्यक हो जाता है, तो वह ऐसा कर सकता है और इस तरह के कार्य में कोई कानूनी बाधा नहीं है। हम जो विचार रख रहे हैं, उसके आधार पर इस बारे में कोई राय देना अनावश्यक है क्या धारा 423 द्र.प्र.स. के तहत प्लमर के मामले में सिद्धांत के अनुरूप है। अंत में इस न्यायालय का निर्णय है मोहन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1962) अनुपूरक 3 एस.सी.आर. 848, 858 जहाँ विचार के लिए समरूप प्रश्न उत्पन्न हुआ। वहाँ, इस न्यायालय ने यह ध्यान दिलाया कि जहाँ पाँच या अधिक व्यक्तियों को विधि विरुद्ध बनाया गया है केवल यह तथ्य की उस संख्या से कम पर वास्तव में सभा के द्वारा किये गए अपराध के लिए मुकदमा चलाया जाता है और उस अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है, आवश्यक रूप से दोषसिद्धि को अवैध नहीं बनाया गया, क्योंकि अन्य व्यक्ति विचारण के लिए उपलब्ध नहीं हो सकते हैं या किसी अन्य कारण से उनकी ठीक से पहचान नहीं कि जा सकती है। इस न्यायालय ने पाया:

1 एस. सी. आर. सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

ऐसे मामलों में, यदि आरोप और साक्ष्य दोनों ही आरोप में नामित व्यक्तियों तक ही सीमित है और नामित व्यक्तियों में से दो या अधिक को न्यायालय के समक्ष दोषमुक्त करके छोड़ दिया जाता है वहाँ से कम व्यक्तियों का विचारण किया जाना है, तो धारा 149 लागू नहीं कि जा सकती है। ऐसे मामलों में भी, यह संभव है कि, यद्यपि यदि आरोप में पाँच या अधिक व्यक्तियों को विधि विरुद्ध सभा की रचना के रूप में नामित किया गया है, फिर भी साक्ष्य दिखा सकते हैं कि विधि विरुद्ध सभा में कुछ अन्य व्यक्ति भी शामिल थे जिसकी पहचान नहीं की गई थी और इसलिए उनका नाम नहीं बताया गया था। ऐसे मामलों में, विचारण न्यायालय या यहाँ तक अपील में उच्च न्यायालय भी इस निष्कर्ष पर पहुँचने में सक्षम हो सकता है आरोप में नामित मुकदमा चलाये गए कुछ व्यक्तियों को आवश्यक रूप से धारा 149 के तहत आरोप से विस्थापित नहीं होगा क्योंकि दोषसिद्धि दो या तीन व्यक्तियों के साथ-साथ अन्य लोग भी थे जिन्होंने विधि विरुद्ध सभा की रचना की थी, लेकिन जिनकी पहचान नहीं की गई है और इस लिए उनका नाम नहीं लिया गया। "ऐसे मामलों में, आरोप में नामित एक या अधिक व्यक्तियों के दोषमुक्त होने से धारा 149 के तहत आरोप की वैधता प्रभावित नहीं होती है क्योंकि साक्ष्य के आधार पर तथ्य की न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचने पर सक्षम है कि विधि विरुद्ध की रचना करने वाले व्यक्ति फिर भी पाँच या पाँच से अधिक थे।

उपर उद्धृत इस न्यायालय के निर्णयों से यह स्पष्ट हो जाता है कि जहाँ अभियोजन पक्ष का मामला आरोप में निर्धारित है और जैसा साक्ष्य द्वारा समर्थित है, इस आशय का है कि कथित विधि विरुद्ध सभा में पाँच या अधिक नामित व्यक्ति शामिल है और कोई अन्य नहीं है, वहाँ ऐसे अन्य व्यक्तियों की भागीदारी का कोई प्रश्न नहीं है जिनकी पहचान नहीं की गई है या पहचाने जाने योग्य नहीं है, न्यायालय यह मानने के लिए यह स्वतंत्र नहीं है कि वहाँ एक विधि विरुद्ध सभा था जब तक कि वह निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुँच जाती कि नामित व्यक्तियों में से पाँच या अधिक उसके

1 एस. सी. आर. सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

सदस्य थे। हालांकि, जहाँ अभियोजन पक्ष का मामला और प्रस्तुत किए गए साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि घटना में पाँच से अधिक व्यक्तियों ने भाग लिया था और उनमें से कुछ की पहचान नहीं कि जा सकी, तो न्यायालय पाँच से कम लोगों के अपराध के लिए दोषी ठहराने के लिए स्वतंत्र होगी। विधि विरुद्ध सभा का सदस्य होना या धारा 149 की सहायता से विधि विरुद्ध सभा द्वारा किए गए अपराध के लिए उन्हें दोषी ठहराना यह निष्कर्ष निकलता है कि घटना में पाँच या अधिक व्यक्तियों ने भाग लिया। पुनः इन निर्णयों से यह स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति को किसी अपराध से दोषमुक्त कर दिया गया है, तो उसका दोषमुक्त होना सभी उद्देश्यों के लिए अच्छा होगा जब वह घटना जिसके संबंध में उसे फंसाया गया था, किसी व्यक्ति द्वारा अपील में उच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आती है या ऐसे व्यक्ति जिनपर उनके साथ मुकदमा चलाया गया था धारा 149 आई.पी.सी. के सहायता से किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था सुंदर सिंह का मामला ने इस नियम का एक अपवाद बनाया, जो धारा 423 द्र.प्र.स. के तहत उच्च न्यायालय विचार कर सकते हैं संयोग वश इस सवाल पर विचार करती है क्या दोषमुक्त किया गया व्यक्ति उसके समक्ष अपीलकर्ताओं के मामले का निर्धारण करने के उद्देश्य से विधि विरुद्ध सभा का सदस्य था। जैसे की पहले ही बताया गया है, इस मामले में यह कहना आवश्यक नहीं है कि क्या इस तरह के अपवाद को प्लमर के मामले के सिद्धांत के अनुरूप लगातार मान्यता दी जा सकती है, जिसे अब तक इस न्यायालय द्वारा समान रूप से स्वीकार किया गया है।

हमें हाल ही में कृष्ण गोविन्द पाटिल बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में दोषमुक्त व्यक्ति के प्रभाव पर विचार करने का अवसर मिला है जिनपर धारा 302 सपठित धारा 34 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराये गए व्यक्तियों के साथ मुकदमा चलाया गया। हममें से एक (न्यायमूर्ति सुब्बा राव) ने न्यायालय के लिए बोलते हुये प्रवेक्षण किया।

“ यह सुस्थापित है कि विधि है कि धारा के विवक्षित अर्थ के अन्तर्गत समान आशय एक पूर्व व्यवस्थित योजना को दर्शाता है और यह आपराधिक कृत्य पूर्व

1 एस. सी. आर. सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

व्यवस्थित किया गया था। उक्त योजना अपराध के घटित होने के दौरान मौके पर भी विकसित हो सकती है, लेकिन महत्वपूर्ण परिस्थिति यह है कि उक्त योजना को अपराध बनाने वाले अधिनियम से पहले होना चाहिए। यदि ऐसा है तो इसके पहले के न्यायालय किसी व्यक्ति को धारान्तर्गत 302 सपठित धारा 34 भा0द0वि0 के तहत दोषी ठहरा सके यह एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचना चाहिए कि उक्त व्यक्ति ने उक्त अपराध करने के लिए एक या अधिक अन्य व्यक्तियों, नामित या अनामित के साथ पूर्व मिलन किया था। कुछ दृष्टांत विभिन्न स्थितियों पर धारा 34 के प्रभाव को प्रकाशित करते हैं।

- (1) ए,बी,सी और डी पर धारा 302 सपठित धारा 34 भा0द0वि0 के तहत ई की हत्या करने के लिए आरोप लगाये गए हैं, साक्ष्य या स्थापित करने के लिए निर्देशित किया गया है उक्त चार व्यक्तियों ने हत्या में भाग लिया था अनुपूरक 2 एस.आर 654, 663 1902 के, बी 339, 1964 खंड 1 एससीआर 678
- (2) ए,बी,सी और डी और अज्ञात पर उक्त धाराओं के अन्तर्गत आरोप लगाये गए हैं। लेकिन यह साबित करने के लिए सबूत पेश किये गए हैं कि उक्त व्यक्तियों ने नामित या अनामित अन्य लोगों के साथ, उस अपराध को कारित करने में संयुक्त रूप से भाग लिया था।
- (3) ए,बी,सी और डी पर उक्त धाराओं के तहत आरोप लगाये गए हैं। लेकिन सबूत यह साबित करने के लिए निर्देशित है कि ए,बी,सी और डी ने 3 अन्य लोगों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से अपराध किया है।

जहाँ तक तीसरे दृष्टांत का संबंध है, न्यायालय निश्चित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुँचने का हकदार है कि नामित आरोपियों में से धारा अन्तर्गत 302 सपठित धारा 34 के तहत हत्या का दोष है, हालांकि अन्य तीन नामित अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया जाता है, अगर यह सबूत स्वीकार करता है कि उक्त अभियुक्त ने अपराध के कमीशन में बरी किए गए लोगों के अलावा नामित या अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलकर

1 एस. सी. आर. सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

काम किया था। दूसरे दृष्टांत में, न्यायालय उसी निष्कर्ष पर पहुंच सकता है और नामित आरोपियों में से एक को दोषी ठहरा सकता है यदि वह संतुष्ट है कि आरोप में दोष के कारण आरोपी पर कोई पूर्वाग्रह नहीं हुआ है। लेकिन पहले दृष्टांत में अदालत निश्चित रूप से दो या दो से अधिक नामित आरोपियों को दोषी ठहरा सकती है यदि वह इस सबूत को स्वीकार करती है कि उन्होंने अपराध करने में संयुक्त रूप से काम किया था। लेकिन अगर अदालत 4 में से 3 आरोपियों को बरी कर देती है या तो अभियोजन के सबूतों को खारिज कर देती है या इसलिए कि वह उक्त आरोपियों को संदेह का लाभ देती है, तो स्थिति क्या होगी? क्या आरोप और साक्ष्य के अभाव में यह माना जा सकता है कि हालांकि तीन आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया है, लेकिन कुछ अन्य अज्ञात व्यक्तियों ने एक नामित व्यक्ति के साथ मिलकर काम किया ? यदि न्यायालय ऐसा कर सकता है, तो यह अभियोजन के लिए एक नया बना रहा होगा: यह मामले में पेश किए गए सबूतों के विपरीत निर्णय लेगा। कोई न्यायालय स्पष्ट रूप से अभियोजन के लिए ऐसा मामला नहीं बना सकती जिसका खुलासा या तो आरोप में नहीं किया गया है या जिसके संबंध में साक्ष्य में कोई आधार नहीं है। साक्ष्य में कुछ आधार होना चाहिए कि नामित लोगों के अलावा अन्य व्यक्तियों ने अपराध में भाग लिया है और यदि ऐसा कोई आधार है तो मामले को तीसरे दृष्टांत द्वारा कवर किया जाएगा। इस मामले में जो माना गया है वह लागू होगा

इस मामले में जो अभिनिर्धारित किया गया वह ऐसे मामले में भी लागू होगा जहाँ किसी व्यक्ति को धारा 34 के बजाय धारा 149, भारतीय दंड संहिता की सहायता से दोषी ठहराया जाता है इस प्रकार के सभी निर्णय जिनका हमने उल्लेख किया है, यह स्पष्ट करते हैं कि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचने में सक्षम है कि पाँच या अधिक व्यक्तियों की एक विधि विरुद्ध सभा थी भले ही उस संख्या से कम लोगों को दोषी ठहराया गया यदि (ए) आरोप में कहा गया है कि नामित व्यक्तियों के अलावा, कई अन्य अज्ञात व्यक्ति भी विधि विरुद्ध सभा के सदस्य थे, जिनका सामान्य उद्देश्य एक

1 एस. सी. आर. सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

गैरकानूनी कार्य करता था और यह साबित करने के लिए सबूत न्यायालय द्वारा स्वीकार किए जाते हैं, (बी) या कि प्रथम सूचना रिपोर्ट और साक्ष्य से ऐसा प्रतीत होता है, भले ही आरोप ऐसा नहीं कहता हो, (सी) या कि हालांकि आरोप और अभियोजन पक्ष के गवाहों ने केवल दोषमुक्त किये गए और दोषी ठहराए गए आरोपियों का नाम लिया है ऐसे अन्य सबूत हैं जो नामित या अन्य व्यक्तियों के अस्तित्व का उदभेदन करते हैं, बशर्ते कि मामले (बी) और (सी) में, आरोप में उल्लेख करने की चूक के कारण परिणामस्वरूप दोषी व्यक्ति के साथ पूर्वाग्रह नहीं हुआ है कि अन्य अज्ञात व्यक्ति ने भी अपराध में भाग लिया है। अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर आते हुए, यह कहना प्रयाप्त है कि उसमें की गई टिप्पणियाँ जो पहले उदत की गई हैं, प्लमर के मामले में सिद्धांत के अनुरूप प्रतीत होती हैं, और इस प्रकार विद्वान अधिवक्ता के तर्क का समर्थन करती हैं।

उपर बताये गए कानून को लागू करते, हमें यह पता लगाना चाहिए कि इस मामले में उच्च न्यायालय ने जो किया है वह सही है या नहीं। सबसे पहले, हालांकि मामले में जाँच किए गए कुछ गवाहों द्वारा यह अस्पष्ट रूप से कहा गया था कि 40 या 50 लोगों ने घटना में भाग लिया था, जिसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट और आरोप पत्र में उल्लेखित सात व्यक्ति शामिल थे, घटना में केवल सात नामित व्यक्तियों ने भाग लिया। यहाँ तक कि घायल व्यक्तियों में से एक, देवा सिंह (पी.डब्लू 2) की पहली सूचना रिपोर्ट में केवल उन सात व्यक्तियों का उल्लेख है जिन्हें मुकदमे के लिए रखा गया था और किसी अन्य का नहीं। इसमें ऐसा कोई सुझाव नहीं है कि किसी अन्य व्यक्ति ने घटना में भाग लिया हो। हालांकि, सत न्यायालय, इस बिंदु पर चर्चा किए बिना और यह पता लगाये बिना कि कितने व्यक्ति इसके सदस्य थे, इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि वहाँ एक विधि विरुद्ध सभा थी, जिसका सामान्य आशय डोचारा को नष्ट करना और लालदेव सिंह और देवा सिंह पर हमला करना था। उच्च न्यायालय कमोबेश वहाँ एक विधि विरुद्ध सभा था जिसके केवल कुछ सदस्यों पर मुकदमा चलाया गया जिनमें से चार को दोषमुक्त कर दिया गया और तीन को दोषसिद्धि किया गया उच्च न्यायालय के लिए

1 एस. सी. आर. सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

यह विचार करना यह आवश्यक था क्या कुछ गवाहों के बयान सही है कि केवल सात जिन व्यक्तियों को उसमें नामित किया गया था, उन्होंने अपराध किया। इसे आरोप में दोष के कारण पूर्वाग्रह के अगले प्रश्न पर भी विचार करना था। मोहन सिंह के मामले (2) और अन्य मामलों में इस न्यायालय द्वारा बताये गए कानून के आधार पर यह उच्च न्यायालय को (1902) 2 केबी 339 में पूरे साक्ष्य को देखने के लिए सक्षम होगा " मामला, मौखिक और दस्तावेजी, और विचार करें कि क्या कोई विधि विरुद्ध सभा थी या नहीं। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया है, यदि उच्च न्यायालय इस तर्कसंगत निष्कर्ष पर पहुँचा होता कि एक गैरकानूनी सभा था जिसमें पाँच से अधिक व्यक्ति शामिल थे, जिनमें अपीलकर्ता और कुछ अन्य व्यक्ति शामिल थे जो अज्ञात थे और अपीलाकर्ताओं को धारा के तहत दोषी ठहराया। धारा 147 की सहायता से 149, दोषमुक्त किये गए व्यक्तियों के अलावा किसी सदस्य या विधि विरुद्ध सभा के सदस्यों के द्वारा किये गए किसी अन्य अपराध के मामले में भी मामला अलग आधार पर होता। लेकिन ऐसा नहीं किया है, यह अपने निर्णय से स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय सत्र न्यायालय द्वारा मामले को निपटाने के तरीके से संतुष्ट नहीं था: लेकिन तब इसे वही नहीं रूकना चाहिए था। इसके बजाय, इसे सबूतों की जाँच पूरी तरह से होनी चाहिए थी और एक निश्चित निष्कर्ष पर आना चाहिए था कि क्या कोई विधि विरुद्ध सभा थी या उसने इस तरह के निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए कारण नहीं बताये थे। इसके बाद उसे किसी भी सदस्य या सदस्यों द्वारा किये गए विशेष कृत्यों का पता लगाना चाहिए था। सामान्य उद्देश्य के अनुसरण में और यह भी प्रश्न था कि क्या अपीलकर्ताओं में से किसी ने घटना में भाग लिया था। इन मामलों पर अपने निष्कर्षों के आलोक में उच्च न्यायालय को इस बात पर विचार करना चाहिए था कि क्या सभी या किसी भी अपीलकर्ता को विधि विरुद्ध सभा या किसी सदस्य द्वारा किये गए सभी या किसी भी कृत्य के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। उन लोगों के अलावा अन्य सदस्य जिनपर ऐसे व्यक्तियों द्वारा अपराध करने का आरोप है, जिनका दोषमुक्त होना अंतिम हो गया है। यह खेद का विषय है कि उच्च

1 एस. सी. आर. सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

न्यायालय उन प्रश्नों को निर्धारित करने में विफल रहा है जिन्हें निर्धारित करना उनके लिए आवश्यक था। इसलिए, हम उस फैसले को रद्द करते हैं और मामले को नये सिरे से तय करने के लिए उच्च न्यायालय को वापस भेजते हैं।

अपील की अनुमति दी गई ।

वाद वापस किया गया ।